

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 107
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी अवसंरचना

*107. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कृषक संघों द्वारा की गई मांग के अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या कुछ राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी अवसंरचना उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या प्रत्येक राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी अवसंरचना सृजित करने का प्रस्ताव है ताकि किसान अपने उत्पादों के लिए गोदामों तक आसानी से पहुंच सकें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसानों को कुछ ऋण सुलभता से मिल जाए ताकि वे बिचौलियों के अग्रिम धन जाल में न फंसे, जिसके कारण अंततः किसान अपने उत्पाद कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी अवसंरचना’ से संबंधित दिनांक 30.07.2024 को उत्तर के लिए देय लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 107* के उत्तर के भाग (क) से (ड) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): सरकार देश के किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः सरकार द्वारा देश के किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने और इस प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त समिति को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यवहार्यता और इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपायों की जांच करने के निदेश दिए गए हैं; और उच्च मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के सुझाव देने का निदेश भी दिया गया है। यह समिति प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण के विषयों पर भी कार्य कर रही है। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और 22 जुलाई, 2022 से अब तक 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त विषयों पर विभिन्न उप-समितियों की 35 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

(ख) से (ग): भंडारण सुविधाओं में सुधार के लिए, सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) को कार्यान्वित कर रही है, जो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनफ्रास्ट्रक्चर (आईएसएएम) की एक उप-योजना है, जिसके तहत राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों/वेयरहाउसों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि कृषि उपज की भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सके। योजना के अंतर्गत, सरकार पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर परियोजना की पूंजीगत लागत पर 25% और 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान करती है।

योजना के प्रारंभ से अर्थात् दिनांक 01.04.2001 से 30.06.2024 तक, 27 राज्यों में 940 लाख टन भंडारण क्षमता सहित कुल 48,512 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं (गोदाम) को स्वीकृति दी गई हैं तथा 4,734.73 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

वर्तमान इनफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने और कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में वृद्धि लाने की दृष्टि से जुलाई 2020 के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) का शुभारंभ किया गया था। एआईएफ फसल कटाई उपरांत प्रबंधन इनफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि परिसम्पत्ति के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है जिसका वित्तपोषण, अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा किया जाना है।

योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 9% की अधिकतम ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर ₹2 करोड़ की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट उपलब्ध है। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है। ₹2 करोड़ से अधिक राशि के ऋणों के मामले में, ब्याज छूट ₹2 करोड़ तक सीमित है।

दिनांक 26.07.2024 तक एआईएफ के तहत 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 72,222 परियोजनाओं के लिए 46,080 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 13,469 वेयरहाउस, 3,021 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ, 1,852 कोल्ड स्टोर परियोजनाएँ, लगभग 20,338 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ और सामुदायिक कृषि संपत्तियाँ शामिल हैं।

(घ) से (ङ): भारत सरकार ने किसानों के लिए ऋण तक आसान पहुँच बढ़ाने हेतु कई उपाय किए हैं। सरकार, प्रत्येक वर्ष कृषि ऋण का वार्षिक लक्ष्य घोषित करती है। पिछले वर्षों में ग्राउंड लेवल क्रेडिट (जीएलसी) में लगातार वृद्धि हुई है जो 2013-14 में 7.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 25.10 लाख करोड़ हो गया है।

सरकार, कृषि ऋण तक आसान पहुंच में सुधार लाने के लिए बैंकों के माध्यम से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान कर रही है ताकि किसान इसके उपयोग से बीज, कीटनाशक इत्यादि जैसे कृषि उत्पादक सामग्री की खरीद आसानी से कर सके और अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकदी प्राप्त कर सकें।

सरकार, किसानों को केसीसी के माध्यम से, रियायती दर पर, अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, किसानों को 1.5% की प्रारंभिक ब्याज छूट प्रदान की जाती है। अतः कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में कार्यरत किसानों को 7% की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध होते हैं। किसानों को ऋण का शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष तक कम हो जाती है। कुछ राज्य सरकारें इसे और अधिक कम करने के लिए ब्याज सब्सिडी में भी वृद्धि कर रही है।

सरकार के प्रयासों से कृषि संबंधी संस्थागत ऋण में महत्वपूर्ण सुधार हुई है जो 2013 में 64% से बढ़कर 2022 में 75% हो गया है।

किसानों को उनकी उपज की दबावग्रस्त बिक्री से बचाने के लिए ब्याज छूट (आईएस) का लाभ निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीष्ट (एनडब्ल्यूआर) पर फसलोपरांत ऋणों के लिए भी उपलब्ध है, जो किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को फसलोपरांत छः माह की अतिरिक्त अवधि के लिए फसल ऋणों पर ब्याज छूट के समान स्तर पर दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में (2014 से 2024 तक) जारी ब्याज सहायता की कुल राशि ₹ 144,673.76 करोड़ है।
